तेजयुग न्यूज़ देश

www.tejyug.com
epaper.tejyug.com

रामलीला मैदान में जुटे किसानों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में आई

नई दिल्ली। ऐलान के मुताबिक एमएसपी समेत विभिन्न मांगों को लेकर अनेक किसान संगठनों ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचना शुरु किया है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और चारों ओर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर रखे हैं। किसान महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होने जा रही है। किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है और चारों ओर अलर्ट किया हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन का कहना था कि यह सुनिश्चित करने के लिए हमने विस्तृत व्यवस्था कर रखी है कि कानून एवं व्यवस्था हर स्थिति में बनी रहे। कानून व्यवस्था को लेकर महापंचायत आयोजक समूह ने भी एक लिखित आश्वासन दिया है। इसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित विभिन्न बिंदु शामिल हैं। इस तरह से हम हर स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा तादाद में किसान आए हुए हैं और यह प्रक्रिया सतत जारी रहने वाली है। बावजूद इसके उम्मीद है कि एसकेएम नेता जो बता रहे थे, वो उस सीमा के तहत ही सब करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था व शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध है। उम्मीद है कि बिना किसी गड़बड़ी के यहां पर सब हो जाएगा। वहीं किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली रामलीला मैदान में आयोजित महापंचायत और प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे किसान नेताओं को पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के दनकौर में रोक लिया है। इससे सीमा पर तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है।

उज्बेकिस्तान से आई महिला की बेंगुलरु के होटल में रहस्यमयी मौत

बेंगुलरु। बेंगुलरु से एक बड़ी खबर आई है। यहां के एक होटल में उज्बेकिस्तान की महिला की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें कि चार दिन पहले उज्बेकिस्तान की रहने वाली 37 साल की जरीना चार दिन पहले टूरिस्ट वीजा पर बेंगलुरु आई थी। वहां होटल जगदीश के दूसरे फ्लोर में कमरा लेकर रह रही थी। पुलिस का कहना है कि 13 मार्च की शाम करीब 4.30 बजे होटल स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब काफी देर तक महिला ने दरवाजा नहीं खोला तब होटल स्टाफ द्वारा मास्टर की से दरवाजा खोला गया। अंदर देखा कमरे में जरीना का शव पड़ा था। होटल स्टाफ द्वारा तुरंत पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने रहस्यमयी मौत का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में छानबीन लगातार जारी है। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है। पुलिस का मानना है कि जरीना की गला दबाकर हत्या की गई है। जरीना के शव को फॉरेंसिक जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। होटल में मौजूद सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक की जा रही हैं।

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सीएए को लेकर की बयानबाजी

सोनभद्र। राष्ट्रिय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोनभद्र जिले के मांची थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। स्वामी प्रसाद पर सीएए को लेकर नफरती बयानबाजी, धार्मिक भावनाएं भड़काने और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बिंदु खरवार की तहरीर पर पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल, सीएए लागू होने के बाद स्वामी प्रसाद ने एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उन्होंने सीएए लागू करने की घोर निंदा की थी। उन्होंने लिखा, नागरिकता संसोधन विधेयक (सीएए) कानून लागू करना केंद्र सरकार का जन विरोधी निर्णय है, जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक विरोधी भी है। सैकड़ो वर्षो से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों तथा घूमन्तु जनजातियों, ग्राम समाज की जमीन पर बसे दलितों, पिछड़ो, गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के पास आज भी राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है, इस कानून के माध्यम से इसतरह के करोड़ों लोगों को प्रताड़ित करने व कब्जे से बेदखल कर नागरिकता से वंचित करने का घिनौना साजिश है। इस जन विरोधी कानून की मैं घोर निंदा करता हूं। बाराडाड़ गांव निवासी खरवार ने अपने तहरीर में है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सैकड़ों वर्षों से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और घुमंतू जनजातियों, ग्राम समाज की जमीन पर बसे दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों को नागरिकता से वंचित करने की बात कही है। इस लेकर क्षेत्र के जनजातियों में तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं।

दानिश अली ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर, अमरोहा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से निलंबित लोकसभा सदस्य दानिश अली ने गुरुवार को कांग्रेस संसदीय दल की नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। बताया जाता है कि वे अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अली ने कहा कि उन्होंने अमरोहा सीट से लोकसभा में अपनी दूसरी पारी के लिए ''सोनिया गांधी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की तस्वीर साझा कर पोस्ट किया, त्याग की प्रतिमूर्ति सोनिया गांधी का आशीर्वाद पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उनका दिल भारत के गरीबों के लिए धड़कता है। उनकी अध्यक्षता वाली एनएसी (राष्ट्रीय सलाहकार परिषद) ने मनरेगा, आरटीआई, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा जैसे ऐतिहासिक, गरीब हितैषी और पारदर्शी कानूनों को बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। बताया जा रहा हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश की जो 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, उसमें अमरोहा भी शामिल है। दानिश अली पिछले महीने अमरोहा में राहुल गांधी की अगुवाई वाली 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में शामिल हुए थे। वह गत 14 जनवरी को मणिपुर में इस यात्रा की शुरुआत के मौके पर भी इसका हिस्सा बने थे। अली को पिछले साल नौ दिसंबर को बसपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया था।

समाजसेवी सुधा मूर्ति ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, सभापति धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई

नई दिल्ली। समाजसेवी सुधा मूर्ति ने गुरुवार को अपने पति एन आर नारायण मूर्ति की मौजूदगी में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर सदन के नेता पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष और बच्चों के लिए कई किताबें लिख चुकीं सुधा मूर्ति (73) को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। कन्नड़ और अंग्रेजी साहित्य में योगदान के लिए प्रख्यात सुधा मूर्ति को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, पद्म श्री (2006) और पद्म भूषण (2023) जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सुधा मूर्ति व्यावसायिक वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा इंजिनीयरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड (टेल्को) के साथ काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर थीं। इंफोसिस शुरू करने के लिए उन्होंने अपने पति को अपनी आपातकालीन निधि से 10,000 रुपये दिए थे, जिसका अब बाजार पूंजीकरण 80 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है। उनकी बेटी अक्षता की शादी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हुई है।

अभद्र टिप्पणी मामले में बयान दर्ज करने एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंची जया प्रदा

मुरादाबाद। अपने खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में रामपुर की पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा मुरादाबाद एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुईं। जया प्रदा गुरुवार को मुरादाबाद कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंची थीं। 2019 के अभद्र टिप्पणी मामले में सपा नेता आजम खान, सांसद एसटी हसन सहित अन्य आरोपी हैं। जया प्रदा काफी समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थीं, इसकारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे। जिसके बाद गुरुवार को उन्होंने कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए। मीडिया से बात कर जया प्रदा ने एसटी हसन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहा यह लड़ाई बेटियों और बहनों की है, ताकि हसन जैसे लोग उनका शोषण ना कर सके। मेरे ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी छोटी सोच रखने वाले नेताओ की मानसिकता को दिखाती है। मैं देश की अन्य महिलाओं के लिए हमेशा संघर्ष करती रहूंगी।

सुप्रीम कोर्ट की अजितगुट पर सख्त टिप्पणी, चुनाव के लिए शरद पवार की तस्वीर की जरुरत क्यों

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनसीपी चुनाव चिह्न विवाद पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुट से शरद पवार की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अजित गुट से कहा कि वह किसी भी भ्रम से बचने के लिए दूसरा चुनाव चिह्न लेने पर विचार करें।

शरद पवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अजित गुट की एनसीपी घड़ी के निशान और शरद पवार के चेहरे का उपयोग करके लोगों को गुमराह कर रही है। सिंघवी ने कहा, आप घड़ी और शरद की तस्वीर का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यह सरासर धोखा है। इतना ही नहीं अजित गुट के नेता कहते हैं कि इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लाभ के लिए किया जाएगा।

जस्टिस सूर्यकांत और के.वी. की पीठ विश्वनाथन ने मामले की सुनवाई कर अजित गुट की ओर से पेश वकील से कहा कि पार्टी को हलफनामा देना चाहिए कि वह अपने सदस्यों को शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल करने से रोकेगी। पीठ ने अजित गुट से कहा कि अब जब आप दो अलग-अलग संस्थाएं हैं, तब केवल अपनी पहचान के साथ ही जाएं। पीठ ने सख्त टिप्पणी कर कहा कि जब चुनाव आता है, तब आपको उनके चेहरे की जरूरत होती है और जब आप चुनाव जीत जाते हैं, तब आप पार्टी छोड़ देते हैं।

इसके पहले 19 फरवरी को शीर्ष अदालत ने एनसीपी संस्थापक शरद पवार और उनके गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के नाम से काम करने की अनुमति दी थी। ईसीआई ने राज्यसभा चुनाव में भाग लेने के लिए एक बार के उपाय के रूप में 7 फरवरी को एक आदेश में शरद पवार गुट को नया नाम आवंटित किया था। इसके अलावा सुनवाई के दौरान एक और अंतरिम राहत में पीठ ने शरद पवार गुट को पार्टी चिह्न के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी।

अयोध्या से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारेंगी मायावती!

लखनऊ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सच्चिदानंद पांडे सचिन को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बना सकती हैं। सचिन ने हाल ही में भाजपा से अपना इस्तीफा दिया है। 13 मार्च को उन्होंने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीएसपी की टिकट पर अयोध्या लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पांडे ने बीजेपी को जो इस्तीफा भेजा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अब मुझे पार्टी में बने रहने पर घुटन महसूस हो रही है, जिसकी वजह से अब बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। अंबेडकरनगर जिला अध्यक्ष के भेजे अपने पत्र में पांडे ने लिखा, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करता चला आ रहा हूं, लेकिन पूर्व की और अब की भाजपा में सब कुछ बदल चुका है, जिसमें कार्यकर्ताओं को बढ़ाने, उन्हें सम्मान देने और आगे बढ़ाने की बजाय पार्टी आयातित और धनबल से परिपूर्ण लोगों को ही तवज्जो देती है। उन्होंने कहा, पार्टी जिस सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, असव में वह महज एक जुमला मात्र ही बनकर रह गया है, जबकि धरातल पर न तो इस नीति का कोई क्रियान्वयन है न ही विचारधारा में कहीं इसका असर है। जिसका प्रतिफल है कि जनपद के दलित-पिछड़े, अल्पसंख्यक और सामान्य समेत सभी वर्ग हतप्रभ और नाखुश हैं।

सीएए नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं : अनुराग ठाकुर

हमीरपुर (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम एक ऐसा कानून है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देगा, किसी की नागरिकता छीनेगा नहीं। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए, 2019 को लागू करने की घोषणा की। विवादास्पद कानून को पारित किये जाने के चार साल बाद केंद्र के इस कदम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है।

सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा, ''सीएए नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं।'' हमीरपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्हें ''दुनिया का सबसे बड़ा झूठा'' करार दिया।

आप प्रमुख द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के कार्यान्वयन को भाजपा की ''वोट बैंक की गंदी राजनीति'' बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकुर ने कहा, ''केजरीवाल इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे एक शिक्षित व्यक्ति भी भ्रांतियां फैलाने का काम करता है।'' केजरीवाल ने बुधवार को कहा था, ''इस कानून के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के द्वार खोल दिए हैं।''

ठाकुर ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि पार्टी के पास लोगों के लिए न तो कोई नीति है और न ही जनता के हितों के लिए कोई कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ''टुकड़े-टुकड़े गैंग'' का समर्थन करती है और देश को बांटना चाहती है, जबकि मोदी देश के हित की बात करते हैं। ठाकुर ने उन्हें लगातार पांचवीं बार हमीरपुर सीट से मैदान में उतारने के लिए भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।

केजरीवाल ने पहले कहा पेश होंगे, तारीख नजदीक आई तो कोर्ट पहुंच गए

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लंबे समय से ईडी की पूछताछ से बच रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ शर्तो के साथ ईडी को भरोसा दिलाया था कि वे कोर्ट में 16 मार्च को पेश होंगे। पेशी की तारीख आती इससे पहले ही केजरीवाल ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया।

कथित शराब घोटाले में ईडी के समन को दरकिनार किए जाने की वजह से केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी ने शिकायत की थी। केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा गया था। अब उन्होंने अदालत के समन के खिलाफ सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की है। राउज ऐवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज राकेश स्याल के सामने मामले को सूचीबद्ध किया गया है। केजरीवाल को 4 मार्च, 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, पिछले साल 22 दिसंबर और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की पहली शिकायत पर केजरीवाल को 17 फरवरी को बुलाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री उस दिन वर्चुअल माध्यम से कोर्ट के सामने हाजिर हुए और बजट सत्र में व्यस्तता का हवाला देकर छूट की गुजारिश की। उन्होंने कोर्ट से अगली तारीख की मांग करते हुए कहा था कि वह खुद हाजिर होंगे। अदालत ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए 16 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था।

ईडी ने समन को नजरअंदाज किए जाने की वजह से 3 फरवरी और 6 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत केस चलाने की मांग की है। लोकसेवक के आदेश पर हाजिर नहीं होने पर इस धारा के तहत केस चलाया जाता है। इसमें दोषी करार दिए जाने वाले व्यक्ति को एक महीने तक जेल और 500 रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाते हुए ईडी ने केजरीवाल को अब तक कुल 8 समन भेजे हैं। इसके बाद ईडी ने अंतिम तीन समन को लेकर भी केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दायर की। मल्होत्रा ने इसका संज्ञान लेकर केजरीवाल को कोर्ट में 16 मार्च को खुद पेश होने को कहा। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें (केजरीवाल) को यह जानने का कोई लीगल हक नहीं है कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर आरोपी के रूप में। जांच एजेंसी ने उन पर जानबूझकर समन को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। एजेंसी ने कहा था कि केजरीवाल को उनकी और कुछ अन्य लोगों की भूमिका के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है मांझी की पार्टी

पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट कर दिया कि वह गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, जो अभी जद (यू) के पास है। नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री और मांझी के बेटे संतोष सुमन ने यह बयान उन अटकलों के एक दिन बाद दिया है कि राजग में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है और हम को राज्य की 40 सीटों में से केवल एक सीट मिलने की संभावना है। एक दिन पहले दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बाद लगायी जा रही अटकलों के बारे में पूछे जाने पर सुमन ने पत्रकारों से कहा कि वे ऐसी अपुष्ट खबरों विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम सभी से बिहार में राजग सीट बंटवारे पर औपचारिक घोषणा की प्रतीक्षा करने का आग्रह करेंगे। मीडिया के एक वर्ग में आयी खबरों के अनुसार भाजपा और जदयू क्रमश: 17 और 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जबकि चिराग को पांच सीटें दी गई हैं जिसमें हाजीपुर लोकसभा सीट भी शामिल है, जो उनके दिवंगत पिता राम विलास पासवान का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में यह सीट चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पास है। मांझी की हम और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक-एक सीट दिए जाने की उम्मीद है। सुमन से गया सीट पर उनकी पार्टी के दावे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''हमारी पार्टी ने कई जगहों पर अपना कैडर बनाया है, हालांकि गया का एक विशेष स्थान है और प्रबल इच्छा है कि ''हम'' कार्यकर्ता को इस सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। बिहार विधान परिषद के लिये बृहस्पतिवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए सुमन के बारे में कहा जा रहा है कि वह स्वयं गया सीट से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं।

माफिया मुख्तार अंसारी जज के सामने रोया गिड़गिड़ाया, इतना दुखी कि इफ्तारी भी नहीं की

कानपुर (एजेंसी)। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने शस्त्र लाइसेंस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी ने नौ महीने बाद ही मुख्तार अंसारी को दूसरी बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। पहले अवधेश राय हत्याकांड में सजा सुनाई थी। अब गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ मुख्तार जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। दुखी होने के कारण बुधवार शाम को इफ्तार भी नहीं किया। सुरक्षा कारणों के चलते अंसारी को बांदा जेल से वाराणसी नहीं भेजा गया है। हालांकि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया। जेल सूत्र बताते हैं कि दोपहर बाद जैसे ही कोर्ट ने मुख्तार को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई वह सिर पकड़ कर बैठ गया। ब्लड प्रेशर की समस्या होने से अफसर घबरा गए और उसे तत्काल बैरक पर भेज दिया गया। दो बार डॉक्टर ने मुख्तार का स्वास्थ्य परीक्षण किया। हांलाकि डॉक्टरों ने ब्लड प्रेशर को सामान्य बताया। सीसीटीवी के जरिए मुख्तार पर कड़ी नजर रखी गई। बताया गया कि शाम को मुख्तार की इफ्तार की प्लेट तैयार की गई तो उसेने पानी पीकर रोजा खोला और कुछ भी नहीं खाया। मुख्तार की इस हालत पर अन्य बंदी भी काफी दुखी दिखे।

मौलाना तौकीर को गिरफ्तार करने में नाकाम रही पुलिस

-देर रात खाली हाथ लौटी, कोर्ट ने दिया 19 मार्च तक का समय

श्रीनगर (एजेंसी)। बरेली, (ईएमएस)। बरेली दंगा मामले में गिरफ्तारी से बचते फिर रहे मौलाना तौकीर पुलिस की जद से दूर ही है। पुलिस का कहना है कि मौलाना का मोबाइल फोन कभी ओपन होता है तो कभी क्लोज बता देता है। उनके मोबाइल की लोकेशन भी लगातार बदलती दिखी है। एक समय मौलाना की लोकेशन हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह रही तो कभी ओखला और कभी जामा मस्जिद मिली थी। पुलिस इन जगहों पर जब तक पहुंचती थी तब तक या तो मोबाइल फोन बंद हो जाता या फिर लोकेशन ही बदल जाती थी।

गौरतलब है कि पुलिस टीम दिल्ली में बरेली दंगा मामले में मौलाना तौकीर रजा की तलाश में जुटी हुई है। सीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोबाईल लोकेशन पर अनेक क्षेत्रों में दबिश भी दी, लेकिन मौलाना हाथ नहीं लगा और रात के समय मौलाना का मोबाइल फोन भी बंद दिखाने लगा। पुलिस पर पहले ही मौलाना को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगे हैं और इसके चलते प्रेमनगर इंस्पेक्टर पर एसएसपी जांच शुरू कराई जा चुकी है। इसके चलते ही कोर्ट ने सीओ प्रथम को मौलाना तौकीर को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दी है। इसके बाद ही मंगलवार को पुलिस ने दिल्ली में मौलाना की तलाश शुरू की थी। मौलाना तौकीर के पुलिस से दूर होने और बचने की वजह उनके मोबाइल फोन की लगातार लोकेशन बदलने से लेकर बार-बार मोबाईल बंद होना बताया जा रहा है। पुलिस को शुरु में मौलाना की लोकेशन हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मिली, लेकिन उसके बाद कभी ओखला तो कभी जामा मस्जिद की लोकेशन मिलने लगी। जब तक पुलिस लोकेशन वाली जगह पहुंचती तब तक मौलाना तौकीर का मोबाईल ही बंद हो जाता और कुछ देर बाद ही नई लोकेशन के साथ मोबाईल ऑन शो करने लगता। अब चूंकि अदालत के समक्ष पेश होकर टीम को जवाब भी देना था, सो देर पुलिस की टीम खाली हाथ वापस लौट आई।

वहीं दूसरी तरफ मौलाना तौकीर के गनर जरुर बरेली पुलिस की टीम को हजरत निजामुद्दीन दरगाह के समीप मिले, जिन्होंने बताया कि 7-8 मार्च को उन दोनों को घर में ही रहने का कहकर मौलाना तौकीर अपने आवास से हैदराबाद एक मीटिंग में जाने का कहकर निकले हैं। उसके बाद से उनका पता नहीं है। पुलिस टीम ने मौलाना के दोनों गनर्स को फिलहाल दिल्ली में ही रहकर सुरागरशी करने को कहा है।

इस पूरे मामले में सीओ प्रथम संदीप कुमार सिंह का कहना था कि कोर्ट ने अगली तारीख तक मौलाना तौकीर को गिरफ्तार करने का समय दे दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस अवधि में मौलाना तौकीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। दरअसल एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी किया है। 19 मार्च तक मौलाना को गिरफ्तार कर पेश कराने की जिम्मेदारी एसएसपी को सौंपी गई है।

भारत की मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में सुधार, 134वें स्थान पर पहुंचा देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधरकर 193 देशों में से 134वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि 2021 में 191 देशों में से 135वें स्थान पर थी। लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) 2022 में, भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। GII-2021 में 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में इसकी रैंक 122 थी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि यह जीआईआई-2021 की तुलना में जीआईआई-2022 में 14 रैंक की महत्वपूर्ण छलांग दर्शाता है। हालाँकि, देश की श्रम बल भागीदारी दर में सबसे बड़ा लिंग अंतर भी है - महिलाओं (28.3 प्रतिशत) और पुरुषों (76.1 प्रतिशत) के बीच 47.8 प्रतिशत का अंतर। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधरकर 193 देशों में से 134वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि 2021 में 191 देशों में से 135वें स्थान पर थी।

लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) 2022 में, भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। GII-2021 में 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में इसकी रैंक 122 थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि यह जीआईआई-2021 की तुलना में जीआईआई-2022 में 14 रैंक की महत्वपूर्ण छलांग दर्शाता है। हालाँकि, देश की श्रम बल भागीदारी दर में सबसे बड़ा लिंग अंतर भी है - महिलाओं (28.3 प्रतिशत) और पुरुषों (76.1 प्रतिशत) के बीच 47.8 प्रतिशत का अंतर।

2021 में अपने एचडीआई मूल्य में गिरावट के बाद और पिछले कुछ वर्षों में एक सपाट प्रवृत्ति के बाद, भारत का एचडीआई मूल्य 2022 में बढ़कर 0.644 हो गया है, जिससे देश को हाल ही में जारी 2023/24 मानव विकास में 193 देशों और क्षेत्रों में से 134 वें स्थान पर रखा गया है। 2021 में 0.633 की तुलना में अपने एचडीआई मूल्य में 0.644 की मामूली वृद्धि के कारण भारत 2021 में 191 देशों में से 135वें स्थान पर रहा। डेटा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ब्रेकिंग द ग्रिडलॉकः रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड' में प्रकाशित किया गया था। यह 2021-2022 मानव विकास रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें वैश्विक एचडीआई मूल्य में पहली बार लगातार दो वर्षों में गिरावट देखी गई। रिपोर्ट से पता चला कि जहां अमीर देशों ने रिकॉर्ड मानव विकास हासिल किया, वहीं आधे गरीब देशों की प्रगति संकट-पूर्व स्तर से नीचे बनी हुई है। 2022 में, भारत ने सभी एचडीआई संकेतकों में सुधार देखा - जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) और जीवन प्रत्याशा 67.2 से बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.6 तक पहुंच गए, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष बढ़कर 6.57 हो गए। और प्रति व्यक्ति जीएनआई में 6,542 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 6,951 अमेरिकी डॉलर हो गई। इसके अलावा, भारत ने लैंगिक असमानता को कम करने में प्रगति प्रदर्शित की है। रिपोर्ट के अनुसार, देश का लढ्ढू मान 0.437 वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से बेहतर है।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मानव विकास में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। 1990 के बाद से, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 9.1 वर्ष बढ़ गई है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 4.6 वर्ष बढ़ गए हैं और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 3.8 वर्ष बढ़ गए हैं। भारत की प्रति व्यक्ति जीएनआई लगभग 287 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 0.644 के एचडीआई मान के साथ, नवीनतम एचडीआर भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है। 1990 और 2022 के बीच, देश में एचडीआई मूल्य में 48.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 1990 में 0.434 से बढ़कर 2022 में 0.644 हो गई। भारत ने लैंगिक असमानता को कम करने में भी प्रगति दिखाई है और जीआईआई-2022 में 166 देशों में से 108वें स्थान पर है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'जीआईआई तीन प्रमुख आयामों - प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में लैंगिक असमानताओं को मापता है। देश का जीआईआई मूल्य 0.437 वैश्विक औसत 0.462 और दक्षिण एशियाई औसत 0.478 से बेहतर है। प्रजनन स्वास्थ्य में भारत का प्रदर्शन मध्यम मानव विकास समूह या दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। 2022 में भारत की किशोर जन्म दर 16.3 (15-19 वर्ष की आयु की प्रति 1,000 महिलाओं पर जन्म) थी, जो 2021 में 17.1 से सुधार है।